विद्युत लोकपाल
मध्यप्रदेश विद्युत नियामक आयोग
पंचम तल, ''मेट्रो प्लाज़ा'', बिट्टन मार्केट, अरेरा कालोनी, भोपाल

प्रकरण क्रमांक L0030313

मेसर्स शिवम गैसेस, — आवेदक
38 सेक्टर ए–1, सांवेर रोड,
इन्दौर (म.प्र.) – 452015

विरूद्ध

1. चीफ इंजीनियर (IR),
मध्यप्रदेश पश्चिम क्षेत्र विद्युत वितरण कंपनी लिमिटेड, — अनावेदकगण
इन्दौर (म.प्र.) – 452003

2. अधीक्षण यंत्री (City),
मध्यप्रदेश पश्चिम क्षेत्र विद्युत वितरण कंपनी लिमिटेड,
इन्दौर (म.प्र.) – 452003

3. अधीक्षण यंत्री (संधा./संचा.),
मध्यप्रदेश पश्चिम क्षेत्र विद्युत वितरण कंपनी लिमिटेड,
इन्दौर (म.प्र.) – 452003

आवेदक की ओर से श्रीमती भक्ति व्यास, अधिवक्ता उपस्थित।
अनावेदक की ओर से श्री गणेश देवड़ा उपस्थित ।

आदेश
(दिनांक 03.09.2013 को पारित)

1. विद्युत उपभोक्ता शिकायत निवारण फोरम, इन्दौर एवं उज्जैन क्षेत्र (जिसे आगे फोरम के नाम से संबोधित किया गया है) के प्रकरण क्रमांक W0095909 मेसर्स शिवम गैसेस विरूद्ध चीफ इंजीनियर तथा अन्य 2 में पारित आदेश दिनांक 21.12.2009 के विरूद्ध आवेदक/उपभोक्ता की ओर से यह अभ्यावेदन दिनांक 04.03.2013 को प्रस्तुत किया गया है ।

2. उपभोक्ता ने फोरम के समक्ष इस आशय की शिकायत की थी कि अनुज्ञप्तिधारी ने उसे विद्युत प्रदाय करने के पूर्व प्रीत ऑक्सीजन के द्वारा देय रू. 462936.00 अदा करने की शर्त रखी थी । उसे विद्युत आपूर्ति प्राप्त करना आवश्यक था, अतः उसने सशर्त उक्त राशि अनुज्ञप्तिधारी कम्पनी के यहां जमा की थी। प्रीत ऑक्सीजन के द्वारा अदा की जाने वाली राशि को वह अदा करने के लिए दायित्वाधीन नहीं था,

विद्युत वितरण कम्पनी द्वारा अपने एकाधिकार शक्तियों का अनुचित उपयोग करते हुए उससे उक्त राशि अवैध रूप से वसूल की गई थी, अतः उसे उक्त राशि वापस दिलाई जाए ।

3. अनावेदक विद्युत वितरण कम्पनी की ओर से यह आपत्ति की गई है कि प्रीत ऑक्सीजन का जो पार्टनर था वही व्यक्ति शिवम गैसेस का भी पार्टनर था । दोनों कम्पनियों के नाम पृथक–पृथक थे, परन्तु हितबद्ध व्यक्ति एक ही थे, अतः कम्पनी द्वारा प्रीत ऑक्सीजन का बकाया उचित रूप से वसूल किया गया है, जिसे वापस प्राप्त करने का अधिकारी आवेदक/उपभोक्ता नहीं है ।

4. फोरम ने उपभोक्ता की शिकायत को मान्य नहीं किया था, अतः उपभोक्ता ने यही राशि वापस प्राप्त करने के लिए अभ्यावेदन प्रस्तुत किया है ।

5. प्रीत ऑक्सीजन में फोरम ने जो आदेश दिया था उसके विरूद्ध प्रीत ऑक्सीजन की ओर से अभ्यावेदन प्रस्तुत किया गया था, जिसका प्रकरण क्रमांक L0030213 है । इस प्रकरण में आज ही आदेश पारित किया गया है और आदेश के अनुसार यह पाया गया है कि अनावेदक विद्युत वितरण कम्पनी उपभोक्ता प्रीत ऑक्सीजन से बढ़े हुए भार की दर से विद्युत टैरिफ वसूल पाने की अधिकारी है अर्थात् जो राशि शिवम गैसेस से अनावेदक द्वारा वसूल की गई है उस राशि को अनावेदक कम्पनी प्रीत ऑक्सीजन से वसूल पाने की अधिकारी है ।

6. यहां इस तथ्य का उल्लेख किया जाना उचित होगा कि कोई भी व्यक्ति भले ही उसकी आवश्यकता कितनी भी आवश्यक हो, दूसरे व्यक्ति के दायित्वों को वहन नहीं करता है । शिवम गैसेस और प्रीत ऑक्सीजन के मध्य यदि कोई आंतरिक संबंध न होता तो विद्युत आपूर्ति प्राप्त करने के लिए शिवम गैसेस द्वारा अनावेदक विद्युत वितरण कम्पनी की अवैध मांग को स्वीकार नहीं किया जाता । मध्यप्रदेश विद्युत प्रदाय संहिता 2004 के प्रावधान प्रभावशील होने के पश्चात् अनुज्ञप्तिधारी विद्युत वितरण कम्पनी का यह दायित्व है कि वह उपभोक्ता की मांग पर विद्युत की आपूर्ति करें । अनुज्ञप्तिधारी कम्पनी को असीमित अधिकार नहीं दिए गए हैं और विद्युत वितरण का अधिकार प्राप्त होने पर भी विद्युत वितरण कम्पनी आपूर्ति करने के लिए उपभोक्ता से अवैध मांग नहीं कर सकता है । विद्युत वितरण कम्पनी के अधिकारों और दायित्वों को मध्यप्रदेश विद्युत प्रदाय संहिता 2004 में शंसित किया गया है, ऐसी स्थिति में यदि शिवम गैसेस के द्वारा विद्युत आपूर्ति का आवेदन दिए जाने पर विद्युत वितरण कम्पनी द्वारा उससे अवैध मांग की जा रही थी तो ऐसी अवैध मांग की पूर्ति करने के स्थान पर उपभोक्ता को उपचार उपलब्ध था तथा वह इस बात की शिकायत विद्युत उपभोक्ता शिकायत निवारण फोरम के समक्ष कर सकता था, परन्तु उसके द्वारा राशि जमा करने के पूर्व ऐसी शिकायत फोरम के समक्ष न करते हुए प्रीत ऑक्सीजन के बकाया की राशि को जमा किया था । इससे स्पष्ट है कि उपभोक्ता आंशिक रूप से प्रीत ऑक्सीजन के दायित्वों को वहन करने

के लिए तैयार था, इस तथ्य से यह भी स्पष्ट होता है कि उपभोक्ता को ऐसी राशि जमा करने पर किसी तरह की क्षति होना संभावित नहीं था, क्योंकि यदि प्रीत ऑक्सीजन प्रश्नगत राशि को जमा करने का दायित्वाधीन होना साबित होती उस स्थिति में उपभोक्ता द्वारा शिवम गैसेस की ओर से जो राशि जमा की गई थी उसका समायोजन प्रीत ऑक्सीजन के बकाया के रूप में हो जाता और यदि प्रीत ऑक्सीजन ऐसी राशि को अदा करने के लिए उत्तरदायी न होती तो शिवम गैसेस जमा की गई राशि को वापस प्राप्त करने का अपने आप अधिकारी हो जाती, इसी आधार पर शिवम गैसेस की ओर से प्रीत ऑक्सीजन पर बकाया राशि को जमा किया गया था । प्रीत ऑक्सीजन को बकाया राशि जमा करने के लिए उत्तरदायी पाया गया है । प्रीत ऑक्सीजन की ओर से यदि बकाया राशि नियमानुसार जमा कर दी जाती है तब ऐसी स्थिति में शिवम गैसेस द्वारा इस संबंध में जमा की गई राशि को वापस करने के लिए अनावेदक विद्युत वितरण कम्पनी अपने आप उत्तरदायी हो जाएगी ।

7. अतः उपभोक्ता की ओर से प्रस्तुत अभ्यावेदन को आंशिक रूप से इस शर्त के साथ स्वीकार किया जाता है कि यदि प्रीत ऑक्सीजन वाले मामले में प्रीत ऑक्सीजन द्वारा अनावेदक विद्युत वितरण कम्पनी के समक्ष नियमानुसार पूर्व बकाया राशि जमा की जाती है तो ऐसी राशि जमा किए जाने के बाद शिवम गैसेस द्वारा इस मद में जमा की गई राशि उसे वापस की जाए । संदेह के निराकरण के लिए स्पष्ट किया जाता है कि शिवम गैसेस जमा की गई राशि के संबंध में ब्याज या अन्य कोई क्षतिपूर्ति प्राप्त करने के अधिकारी नहीं होगी ।

8. आदेश की प्रति के साथ फोरम का अभिलेख वापस हो । आदेश की निशुल्क प्रति पक्षकारों को दी जाए ।

विद्युत लोकपाल

प्रतिलिपि :

1. आवेदक की ओर प्रेषित ।
2. अनावेदकगण की ओर प्रेषित ।
3. फोरम की ओर प्रेषित ।

विद्युत लोकपाल